**भारत सरकार**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या : 897**

**28 जुलाई, 2015 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर**

**राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का निष्पादन**

**897. श्री देवेंदर गौड टी॰:**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) ने वर्ष 2005 से 2015 तक गत दस वर्षों से इसके कार्यान्वयन को ग्रामीण भारत की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं का समाधान बनने के अपने वचन को पूरा किया है;

(ख) एनआरएचएम के अंतर्गत वर्ष 2005 से लक्ष्य की तुलना में राज्य-वार कितने-कितने ग्रामीण केन्द्र स्थापित किए गए है;

(ग) क्या यह सच है कि गत दस वर्ष से कार्यान्वयन के पश्चात 70-80 प्रतिशत डाक्टरों की कमी है;

(घ) यदि हां, तो यह मिशन कहां विफल हुआ है और सरकार इसे किस प्रकार सुधारने की योजना बना रही है;

(ङ) वर्ष 2005 से वर्ष-वार और राज्य-वार एनआरएचएम पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई है; और

(च) वर्ष 2005 में 250 चिन्हित जिलों में स्वास्थ्य सूचकांक क्या है और वर्ष 2015 में तत्संबंधी जिला-वार स्थिति और ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री **(**श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क): **राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) की शुरूआत के बाद इसकी कुछ प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार है:**

* **स्वास्थ्य मानव संसाधन को वर्ष 2005 में 2.17 लाख से बढ़ाकर वर्ष 2014 में 3.98 लाख कर दिया गया है। इनमें ब्लॉक स्तर पर आयुष पैरामेडिक्स, एएनएम, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला लेखा प्रबंधक, जिला डेटा प्रबंधक, ब्लॉक प्रबंधक, और लेखाकारों आदि सहित विशेषज्ञ, डॉक्टर, स्टॉफ नर्स, पैरामेडिकल शामिल हैं।**
* **आशा की संख्या 1.4 लाख से बढ़ाकर 9 लाख से अधिक कर दी गई है।**
* **एनआरएचएम के अंतर्गत स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों के 30499 नए निर्माण और 32534 नवीकरण और अपग्रेडेशन कार्यों को स्वीकृत किया गया है। इनमें जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी), उप-केंद्र (एससी) आदि शामिल हैं।**
* **प्रथम रेफरल इकाइयों (एफआरयू) को 940 से बढ़ाकर 2661 कर दिया गया है।**
* **24x7 पीएचसी/सीएचसी को 2243 से बढ़ाकर 13338 कर दिया गया है।**
* **मोबाइल चिकित्सा यूनिटों (एमएमयू) का संचालन 1301 एमएमयू के साथ 128 जिलों से बढ़ाकर 368 जिलों में कर दिया गया है।**
* **एनआरएचएम के अंतर्गत देश भर में 21000 से अधिक एम्बूलेंस कार्यरत हैं।**
* **ग्रामीण भारत की शिशु मृत्युदर (आईएमआर) वर्ष 2005 में 64 से घटकर वर्ष 2013 में 44 रह गयी है।**
* **ग्रामीण भारत की कुल प्रजनन दर (टीएफआर) वर्ष 2005 में 3.2 से घटकर वर्ष 2013 में 2.5 रह गयी है।**
* **मातृ मृत्युदर (एमएमआर) वर्ष 2004-06 में 254 से घटकर वर्ष 2011-13 में 167 रह गयी है।**

**(ख) ब्यौरे अनुलग्नक -I में संलग्न हैं।**

**(ग) और (घ) आरएचएस 2013-14 के अनुसार, विशेषज्ञों सहित 57872 डॉक्टरों के स्वीकृत पदों में से पीएचसी/सीएचसी में 42845 एलोपैथिक डॉक्टर और विशेषज्ञ तैनात हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि पीएचसी/सीएचसी में विशेषज्ञों सहित डॉक्टरों की 26% रिक्ति/कमी है।**

**(ङ) वर्ष 2005-06 से 2014-15 तक एनआरएचएम/राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत व्यय से संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार सूचना अनुलग्नक –II पर है।**

**(च) एनआरएचएम में वर्ष 2005 में 250 जिलों का चयन नहीं किया गया है। हालांकि, पंचायती राज मंत्रालय ने निम्नानुसार सूचित किया है:**

**पंचायती राज मंत्रालय वर्ष 2006-07 से 2015-16 की अवधि के दौरान गोवा को छोड़कर देश के सभी राज्यों के 272 चयनित पिछड़े जिलों में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) कार्यक्रम के जिला घटक को लागू कर रहा था। प्रारम्भ में, कार्यक्रम के अंतर्गत 250 जिले शामिल थे और 2012-13 से 22 नए जिलों को जोड़ा गया। मौजूदा विकास प्रवाह को चयनित बैकवार्ड जिलों में पूरा करने तथा उसकी ओर अभिमुख करने के लिए तथा स्थानीय अवसंरचना और अन्य विकास जरूरतों जिन्हें धनराशि के अन्य स्रोतों के माध्यम से पर्याप्त रूप से पूरा नहीं किया जा रहा था, के बीच के अंतराल को पाटने के लिए बीआरजीएफ के अंतर्गत वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराया गया। इस कार्यक्रम को वर्ष 2015-16 से केंद्र सरकार की बजटीय सहायता से अलग कर दिया गया है।**

**अनुलग्नक-I**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्र.सं.** | **राज्य/संघ राज्य क्षेत्र** | **उप-केंद्र (एससी)** | **प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी)** | **सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी)** |
| **2005 में कार्यरत एससी**  | **2011 की जनगणना ग्रामीण आबादी के अनुसार अपेक्षित एससी**  | **2014 में कार्यरत एससी**  | **2005 में कार्यरत पीएचसी** | **2011 की जनगणना ग्रामीण आबादी के अनुसार अपेक्षित पीएचसी**  | **2014 में कार्यरत पीएचसी** | **2005 में कार्यरत सीएचसी** | **2011 की जनगणना ग्रामीण आबादी के अनुसार अपेक्षित सीएचसी**  | **2014 में कार्यरत सीएचसी** |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 12522 | 11969 | 12522 | 1570 | 1965 | 1709 | 164 | 491 | 292 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 379 | 318 | 286 | 85 | 48 | 117 | 31 | 12 | 52 |
| 3 | असम | 5109 | 5850 | 4621 | 610 | 954 | 1014 | 100 | 238 | 151 |
| 4 | बिहार | 10337 | 18637 | 9729 | 1648 | 3099 | 1883 | 101 | 774 | 70 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 3818 | 4885 | 5161 | 517 | 774 | 783 | 116 | 193 | 157 |
| 6 | गोवा | 172 | 122 | 207 | 19 | 19 | 21 | 5 | 4 | 4 |
| 7 | गुजरात | 7274 | 8008 | 7274 | 1070 | 1290 | 1158 | 272 | 322 | 300 |
| 8 | हरियाणा | 2433 | 3301 | 2542 | 408 | 550 | 454 | 72 | 137 | 109 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 2068 | 1285 | 2068 | 439 | 212 | 489 | 66 | 53 | 78 |
| 10 | जम्मू और कश्मीर | 1879 | 2009 | 2265 | 334 | 327 | 637 | 70 | 81 | 84 |
| 11 | झारखंड | 4462 | 6060 | 3958 | 561 | 966 | 330 | 47 | 241 | 188 |
| 12 | कर्नाटक | 8143 | 7951 | 9264 | 1681 | 1306 | 2233 | 254 | 326 | 193 |
| 13 | केरल | 5094 | 3551 | 4575 | 911 | 589 | 829 | 106 | 147 | 224 |
| 14 | मध्य प्रदेश | 8874 | 12415 | 8764 | 1192 | 1989 | 1157 | 229 | 497 | 334 |
| 15 | महाराष्ट्र | 10453 | 13512 | 10580 | 1780 | 2201 | 1811 | 382 | 550 | 360 |
| 16 | मणिपुर | 420 | 509 | 421 | 72 | 80 | 85 | 16 | 20 | 17 |
| 17 | मेघालय | 401 | 759 | 422 | 101 | 114 | 108 | 24 | 28 | 27 |
| 18 | मिजोरम | 366 | 172 | 370 | 57 | 25 | 57 | 9 | 6 | 9 |
| 19 | नगालैंड | 394 | 455 | 396 | 87 | 68 | 126 | 21 | 17 | 21 |
| 20 | ओडिशा | 5927 | 8193 | 6688 | 1282 | 1315 | 1305 | 231 | 328 | 377 |
| 21 | पंजाब | 2858 | 3468 | 2951 | 484 | 578 | 427 | 116 | 144 | 150 |
| 22 | राजस्थान | 10512 | 11459 | 14407 | 1713 | 1861 | 2082 | 326 | 465 | 567 |
| 23 | सिक्किम | 147 | 113 | 147 | 24 | 18 | 24 | 4 | 4 | 2 |
| 24 | तमिलनाडु | 8682 | 7533 | 8706 | 1380 | 1251 | 1369 | 35 | 312 | 385 |
| 25 | त्रिपुरा | 539 | 691 | 972 | 73 | 109 | 84 | 10 | 27 | 18 |
| 26 | उत्तराखंड | 1576 | 1442 | 1847 | 225 | 238 | 257 | 44 | 59 | 59 |
| 27 | उत्तर प्रदेश | 20521 | 31200 | 20521 | 3660 | 5194 | 3497 | 386 | 1298 | 773 |
| 28 | पश्चिम बंगाल | 10356 | 13083 | 10356 | 1173 | 2153 | 909 | 95 | 538 | 347 |
| 29 | अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह | 107 | 50 | 119 | 20 | 8 | 22 | 4 | 2 | 4 |
| 30 | चंडीगढ़ | 13 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 31 | दादरा एवं नगर हवेली | 38 | 56 | 51 | 6 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 |
| 32 | दमन और दीव | 21 | 13 | 26 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 33 | दिल्ली | 41 | 83 | 27 | 8 | 13 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 34 | लक्षद्वीप | 14 | 4 | 14 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 |
| 35 | पुदुच्चेरी | 76 | 79 | 53 | 39 | 13 | 24 | 4 | 3 | 3 |
| **पूर्ण भारत** | **146026** | **179240** | **152326** | **23236** | **29337** | **25020** | **3346** | **7322** | **5363** |

**अनुलग्नक-II**

वित्तीय वर्ष 2005-06 से 2014-15 में एनआरएचएम/एनएचएम के अंतर्गत राज्यवार व्यय

करोड़ रुपए में

| क्र.सं. | राज्य | **2005-06** | **2006-07** | **2007-08** | **2008-09** | **2009-10** | **2010-11** | **2011-12** | **2012-13** | **2013-14** | **2014-15** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| व्यय | व्यय | व्यय | व्यय | व्यय | व्यय | व्यय | व्यय | व्यय | व्यय |
| 1 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 5.32 | 8.28 | 9.01 | 12.76 | 20.11 | 17.66 | 21.30 | 27.52 | 29.12 | 24.33 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 216.44 | 405.91 | 505.18 | 700.13 | 764.91 | 693.92 | 709.05 | 1066.65 | 1044.81 | 902.91 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 17.57 | 31.27 | 47.62 | 57.69 | 66.16 | 78.64 | 90.70 | 73.68 | 92.03 | 69.50 |
| 4 | असम | 84.60 | 212.53 | 547.47 | 698.32 | 763.71 | 1093.37 | 1035.14 | 1253.73 | 956.89 | 915.88 |
| 5 | बिहार | 186.69 | 235.64 | 423.25 | 783.19 | 826.20 | 1454.98 | 1147.74 | 1333.54 | 1480.68 | 1427.40 |
| 6 | चंडीगढ़ | 3.14 | 3.48 | 4.11 | 6.47 | 8.25 | 9.25 | 10.75 | 12.65 | 14.42 | 15.26 |
| 7 | छत्तीसगढ़ | 107.37 | 187.69 | 197.77 | 162.12 | 240.41 | 308.60 | 482.58 | 512.34 | 805.50 | 716.04 |
| 8 | दादरा एवं नागर हवेली | 1.46 | 1.71 | 2.85 | 3.86 | 4.62 | 5.76 | 6.49 | 7.43 | 9.83 | 8.56 |
| 9 | दमन और दीव | 1.64 | 1.86 | 2.43 | 2.41 | 3.46 | 3.96 | 5.21 | 6.85 | 8.40 | 7.67 |
| 10 | दिल्ली | 24.99 | 31.95 | 51.06 | 55.68 | 75.89 | 90.13 | 92.27 | 109.30 | 132.59 | 222.64 |
| 11 | गोवा | 3.00 | 4.17 | 6.92 | 8.89 | 18.59 | 18.37 | 27.49 | 29.63 | 30.58 | 29.50 |
| 12 | गुजरात | 132.55 | 225.40 | 306.81 | 495.43 | 634.27 | 722.26 | 766.41 | 821.11 | 977.48 | 873.66 |
| 13 | हरियाणा | 54.61 | 76.96 | 98.57 | 187.73 | 349.72 | 287.78 | 289.21 | 369.63 | 423.79 | 438.18 |
| 14 | हिमाचल प्रदेश | 39.47 | 57.04 | 56.55 | 94.84 | 167.81 | 164.74 | 149.75 | 276.69 | 158.60 | 306.92 |
| 15 | जम्मू और कश्मीर | 17.52 | 51.42 | 75.27 | 111.94 | 155.59 | 210.76 | 249.39 | 293.78 | 391.10 | 393.29 |
| 16 | झारखंड | 135.35 | 91.89 | 124.99 | 299.30 | 195.45 | 381.09 | 419.41 | 423.93 | 521.49 | 372.01 |
| 17 | कर्नाटक | 153.50 | 194.34 | 275.29 | 428.94 | 680.64 | 700.62 | 767.55 | 807.10 | 812.56 | 858.18 |
| 18 | केरल | 102.62 | 39.50 | 144.03 | 331.20 | 385.19 | 385.95 | 428.16 | 628.24 | 673.07 | 509.83 |
| 19 | लक्षद्वीप | 0.77 | 0.93 | 0.62 | 2.18 | 2.86 | 3.44 | 4.10 | 4.44 | 2.28 | 1.36 |
| 20 | मध्य प्रदेश | 181.55 | 353.36 | 645.70 | 686.97 | 741.28 | 996.80 | 968.86 | 1223.50 | 1583.60 | 1738.02 |
| 21 | महाराष्ट्र | 230.17 | 229.25 | 550.76 | 873.15 | 1044.71 | 1271.63 | 1483.17 | 1840.14 | 1806.86 | 1834.40 |
| 22 | मणिपुर | 14.99 | 20.40 | 40.99 | 62.06 | 64.11 | 68.21 | 65.88 | 68.48 | 74.57 | 86.91 |
| 23 | मेघालय | 10.26 | 19.48 | 32.70 | 51.27 | 75.13 | 91.99 | 107.72 | 104.75 | 71.53 | 70.72 |
| 24 | मिजोरम | 17.00 | 28.78 | 56.22 | 54.26 | 58.66 | 77.33 | 76.92 | 87.69 | 91.89 | 93.29 |
| 25 | नगालैंड | 17.72 | 36.23 | 43.45 | 57.65 | 64.26 | 81.84 | 111.81 | 105.35 | 90.40 | 63.04 |
| 26 | ओडिशा | 135.39 | 199.19 | 295.07 | 334.05 | 646.74 | 664.37 | 727.75 | 780.73 | 901.65 | 944.10 |
| 27 | पुदुच्चेरी | 3.50 | 8.66 | 7.14 | 7.29 | 13.34 | 17.36 | 20.59 | 20.53 | 25.43 | 23.35 |
| 28 | पंजाब | 65.45 | 86.62 | 111.64 | 190.08 | 241.41 | 339.34 | 382.71 | 423.47 | 437.57 | 460.59 |
| 29 | राजस्थान | 201.24 | 299.48 | 537.65 | 909.16 | 1001.74 | 1172.06 | 1051.53 | 1181.47 | 1457.06 | 1722.69 |
| 30 | सिक्किम | 7.84 | 9.87 | 13.39 | 50.62 | 35.73 | 33.45 | 31.95 | 37.30 | 44.82 | 41.36 |
| 31 | तमिलनाडु | 206.17 | 321.48 | 392.74 | 534.42 | 691.93 | 825.22 | 917.15 | 900.73 | 1430.28 | 2248.06 |
| 32 | त्रिपुरा | 20.34 | 29.85 | 38.28 | 68.73 | 81.10 | 105.43 | 109.15 | 118.96 | 101.93 | 130.15 |
| 33 | उत्तर प्रदेश | 573.24 | 703.82 | 956.47 | 1546.06 | 2230.74 | 2693.30 | 2011.11 | 3263.04 | 2924.38 | 3671.26 |
| 34 | उत्तराखंड | 40.63 | 46.99 | 72.74 | 132.48 | 144.00 | 206.31 | 212.90 | 246.97 | 255.28 | 324.42 |
| 35 | पश्चिम बंगाल | 190.05 | 263.30 | 335.33 | 563.75 | 730.24 | 836.69 | 901.71 | 1104.09 | 1271.71 | 1196.78 |
| 36 | तेलंगाना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 334.68 |
| **कुल** | **3204.17** | **4518.68** | **7010.07** | **10565.10** | **13228.99** | **16112.63** | **15883.63** | **19565.44** | **21134.19** | **23076.94** |
| 1. आवंटन मूल परिव्यय/बीई के अनूरूप है। |
| 2. रिलीज केवल केंद्रीय अनुदान है तथा इसमें राज्य का हिस्सा शामिल नहीं है। |
| 3.व्यय में केंद्र एवं राज्य रिलीज तथा वर्ष के आरंभ में खर्च नहीं की गई शेष राशि के विरूद्ध व्यय शामिल है तथा यह 31.03.2015 के अनुसार एफएमआर रिपोर्टिंग के अनुरूप हैं (अनंतिम) |

\*\*\*\*